ई–मेल / डाक / आवश्यक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः एफ.4(3)(2)रोल / निर्वा / 2013 / 1313 जयपुर, दिनांक 25.04.2013

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय : विधानसभा आम चुनाव 2013– मतदाताओं के सामान्य ज्ञान, आचार, व्यवहार (Knowledge, Attitude, Behaviour, Belief and Practices) आदि के अध्ययन हेतु बेस लाईन सर्वे करने के संबंध में।

प्रसंग : भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 447 / SVEEP / 3 / 2013 / 374 दिनांक 22.01.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2013 को उन सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिन राज्यों में इस वर्ष के अन्त में विधानसभा आम चुनाव कराए जायेगें को निर्देश जारी कर आम चुनाव से पूर्व मतदाताओं के सामान्य ज्ञान, आचार, व्यवहार आदि का (KABBP) अध्ययन करने हेतु बेस लाईन सर्वे करने के निर्देश दिये है। (प्रति संलग्न है)

2. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उक्त बेस लाईन सर्वे करने हेतु विभाग द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर को नोडल एजेन्सी के रूप में चिन्हित किया गया है। सांख्यिकी निदेशालय जिला मुख्यालय पर पदस्थापित उक्त कार्य जिला सांख्यिकी अधिकारी के मार्फत कराए जाने के विषय में विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है। इस विषय में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा सर्वे की एक कार्ययोजना तैयार की है जिसके अनुसार प्रथम चरण में फील्ड स्तर पर प्रगणको द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित प्रश्नावली (हिन्दी अनुवाद संलग्न है) सर्वे का कार्य किया जायेगा। इसके पश्चात् राज्य मुख्यालय पर सर्वे के आधार पर डेटा एन्ट्री की जाकर विभिन्न रिपोर्टस तैयार की जायेगी तथा तद्नुसार रिर्पोटस के आधार पर प्रचार–प्रसार की विशेष कार्ययोजना तैयार की जायेगी। इस सर्वे से संबंधित आवश्यक दिशा–निर्देश आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा पृथक से

जारी किए जा रहे है। इस विषय में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) के स्तर पर जो कार्यवाही की जानी है उसके विषय में दिशा–निर्देश निम्न प्रकार से है।

3. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) बेस लाईन सर्वे कार्य के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करें। नोडल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सर्वे के संबंध में जिला स्तर/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मुख्यालय पर यथास्थिति प्रशिक्षण संबंधी समस्त कार्यवाही जिला सांख्यिकी अधिकारी के साथ मिलकर करेगें। इस कार्य हेतु निदेशालय द्वारा किए गए निर्देशों के अनुसार जिला सांख्यिकी अधिकारी से समन्वय कर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सर्वे के लिए सैम्पल निर्धारित करेगें।

4. <u>बेस लाईन सर्वे हेतु</u>

4.1 **प्रशिक्षण राज्य स्तरीय प्रशिक्षण** – राज्य स्तर पर निर्वाचन विभाग एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में जिला सांख्यिकी अधिकारी को जिले के मास्टर ट्रेनर्स के रूप में प्रशिक्षित किया जाए। प्रशिक्षण की दिनांक से यथासमय आपको अवगत कराया जायेगा।

4.2 **जिला स्तरीय प्रशिक्षण** – उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला सांख्यिकी अधिकारी के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तर पर जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/प्रगणको/सुपरवाईजर्स के लिए एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण सत्र में प्रगणकों/सुपरवाईजर्स द्वारा किये जाने वाले सर्वे कार्य के बारे में जानकारी दी जायेगी। प्रशिक्षण के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रश्नावली को भरने की प्रक्रिया एवं सर्वे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के विषय में प्रशिक्षण दिया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण एक दिवसीय होगा। प्रशिक्षण की व्यवस्था उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी।

4.3 इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि प्रगणकों के लिए प्रशिक्षण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मुख्यालय पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा जिला सांख्यिकी अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सैम्पल

के आधार पर चिन्हित किये गये मतदान केन्द्र जिनमे कि सर्वे किया जाना है के लिए नियुक्त प्रगणक के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है।

4.4 प्रशिक्षण के दौरान सर्वे के लिए प्रयुक्त होने वाली प्रश्नावली के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जायेगी। प्रशिक्षण के दौरान प्रगणकों को यह आवश्यक रूप से अवगत कराया जायेगा कि वह वास्तविकता के आधार पर प्रश्नावली की पूर्ति करें जिससे कि इसके आधार पर वास्तविक रिपोर्ट तैयार कर तद्नुसार कार्यवाही की जा सके।

5. **मास्टर ट्रेनर्स/प्रगणको/सुपरवाईजर्स के लिए मानदेय** – इस विषय में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत दरो के अनुसार सभी संबंधित को मानदेय का भुगतान विभाग के बजट मद से किया जायेगा।

6. **सर्वे के लिए स्टेशनरी आदि की व्यवस्था** – विभाग द्वारा सर्वे के लिए आयोग द्वारा निर्धारित प्रश्नावली का हिन्दी में रूपांतरण कराया गया है जो पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला सांख्यिकी अधिकारी विचार–विमर्श कर इसकी आवश्यकतानुसार प्रतियॉ अपने स्तर पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगें। प्रशिक्षण के दौरान प्रयुक्त होने वाली अन्य स्टेशनरी आदि की व्यवस्था जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) द्वारा की जायेगी।

7. **सर्वे के दौरान पर्यवेक्षण** – उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला सांख्यिकी अधिकारी जिले में सर्वे के दौरान पर्यवेक्षण करने हेतु सुपरवाईजर्स की नियुक्ति करेगें। उक्त सुपरवाईजर जिला सांख्यिकी अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सर्वे संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण करेगें। जिला मुख्यालय से उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला सांख्यिकी अधिकारी एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों पर्यवेक्षण का कार्य कर सर्वे कार्य में गुणवत्ता की सुनिश्चितता करेगें।

8. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त बेस लाईन सर्वे मतदाताओं के सामान्य ज्ञान, व्यवहार, आचार आदि का अध्ययन कर रिर्पोट तैयार करने के उद्देश्य से किया

जा रहा है जिसके आधार पर जो रिपोर्ट तैयार होगी उससे यह आकंलन किया जाएगा कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र जहॉ मतदाताओं का पंजीकरण मतदाता सूची में निर्धारित मापदण्ड से कम है तथा इस क्षेत्र के व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित कर मतदाता सूची में पंजीकरण बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार से ऐसे क्षेत्र जहॉ मतदान का प्रतिशत कम रहा है उनमे प्रचार–प्रसार के ऐसे कौन से तरीके है जिनका प्रयोग कर मतदान के लिए अधिक से अधिक संख्या में इन क्षेत्रों के मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

अतः उक्त बेस लाईन सर्वे का कार्य गम्भीरता पूर्वक किया जाना है जिससे कि इसके आधार पर प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जा सके।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ.7(2)(2)सां / निर्वा / 2012 / जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
2. समस्त जिला सांख्यिकी अधिकारी, राजस्थान।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

ई–मेल / डाक / आवश्यक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः एफ.4(3)(2)रोल / निर्वा / 2013 / 1526 जयपुर, दिनांक 03.05.2013

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय : विधानसभा आम चुनाव 2013– मतदाताओं के सामान्य ज्ञान, आचार, व्यवहार (Knowledge, Attitude, Behaviour, Belief and Practices) आदि के अध्ययन हेतु बेस लाईन सर्वे करने के संबंध में।

प्रसंग : इस विभाग का पत्र कमांक 1313 दिनांक 25.04.2013 एवं पत्र क्रमांक 1411 दिनांक 30.04.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रांक के क्रम में आज दिनांक 03.05.2013 को समस्त जिलों के उप निर्वाचन अधिकारियों / प्रतिनिधियों तथा जिला सांख्यिकी अधिकारियों को विडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बेस लाईन सर्वे **KABBP** के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था प्रशिक्षण के दौरान सर्वे प्रश्नावली के संबंध में कुछ सुझाव दिये गये थे उक्त सुझावों के आधार पर प्रश्नावली में संशोधन कर दिया गया है।

अतः संशोधित प्रश्नावली इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया प्रश्नावली की आपके जिले की आवश्यकता के अनुसार प्रतियाँ तैयार कराकर जिला सांख्यिकी अधिकारी को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विनोद कुमार पारीक)
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ.4(3)(2)रोल / निर्वा / 2013 / 1526 जयपुर, दिनांक 03.05.2013
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला सांख्यिकी अधिकारी, राजस्थान।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

ई–मेल / डाक / आवश्यक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः एफ.4(3)(2)रोल / निर्वा / 2013 / 1630 जयपुर, दिनांक 8.5.2013

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान।.

विषय : विधानसभा आम चुनाव 2013– मतदाताओं के सामान्य ज्ञान, आचार, व्यवहार (Knowledge, Attitude, Behaviour, Belief and Practices) आदि के अध्ययन हेतु बेस लाईन सर्वे करने के संबंध में।

प्रसग : निदेशक एवं पदेन उपसचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग जयपुर का पृष्ठांकन 17041–73 दिनांक 01.05.2013 एवं विभाग का समसंख्यक पत्र क्रमांक 1526 दिनांक 03.05.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 25 अप्रैल, 2013 के द्वारा आगामी विधानसभा आम चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदाताओं के सामान्य ज्ञान, आचार, व्यवहार आदि का (KABBP) अध्ययन करने हेतु बेस लाईन सर्वे करने के संबंध में आपको निर्देश प्रेषित किये गये है। राज्य में यह कार्य आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के मार्फत जिला स्तर पर जिला सांख्यिकी अधिकारी के सुपरविजन में कराया जायेगा। इस कार्य के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिये गये है।

निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर के प्रासंगिक पत्र दिनांक 01.05.2013 के द्वारा बेस लाईन सर्वे के विषय में एक कार्य योजना तैयार कर जिला सांख्यिकी अधिकारी को भेजी गयी है। इसकी प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) को भी पृष्ठांकित की गयी है। इसकी एक प्रति विभाग स्तर से आपको प्रेषित की गयी है। कृपया इसका अवलोकन करें। इस कार्य के विषय में विभाग एवं सांख्यिकी निदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 03.05.2013 को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बेस लाईन सर्वे के विषय में निर्धारित कार्यक्रम एवं किये जाने वाले कार्य विस्तार से अवगत कराया गया है।

कृपया आप सुनिश्चित कर लें कि निर्धारित दिनांक तक सर्वे हेतु मतदान केन्द्रों व मतदाताओं का चयन प्रगणकों, सुपरवाईजर्स की नियुक्ति, जिला स्तरीय प्रशिक्षण आदि

आयोजित कर लिये जाए तथा फील्ड में सर्वे कार्य निर्धारित दिनांक 21 मई, 2013 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जाए। चूँकि इस कार्य में अत्यधिक विलम्ब हो गया है इसलिए निदेशालय एवं विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार यह कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

<u>भारत निर्वाचन आयोग</u>

आधारभूत सर्वेक्षण– जानकारी, अभिवृत्ति, व्यवहार, विश्वास व प्रक्रियात्मकता

<u>प्रश्नावली</u>

1. **स्थिति :–**
   (अ) ग्रामीण
   (ब) नगरीय
   (स) अर्द्ध नगरीय
2. संभाग का नाम ....
3. गाँव या शहर का नाम..
4. जिले का नाम ....
5. विधानसभा क्षैत्र का नाम...

<u>(अ) उत्तरदाता की सामान्य जानकारियाँ</u>

1. मतदाता का नाम ....
2. आयु ....
3. लिंग – 1. पुरूष 2. स्त्री 3. अन्य
4. वैवाहिक स्थिति 1. विवाहित 2.अविवाहित 3. अन्य
5. विधानसभा क्षैत्र संख्या एवं नाम ....
6. मतदान केन्द्र संख्या एवं नाम ....
7. मतदान केन्द्र का स्थान..
8. ग्राम का नाम / वार्ड नं, ...
9. तहसील ....
10. जिला ....
11. परिवार में सदस्यों की संख्या ....
12. **शैक्षणिक योग्यता**
    1. अनपढ 2. आठवी तक
    3. दसवीं तक 4. बारहवीं तक
    5. डिप्लोमा / प्रमाण पत्र 6. स्नातक एवं उच्च शिक्षा / व्यवसायिक / तकनीकी कोर्स सम्मिलित करते हुये
13. **आर्थिक स्थिति (आय प्रतिवर्ष)**
    1. एक लाख से कम 2. एक से तीन लाख
    3. तीन से पांच लाख 4. पांच से उपर,
14. **राशन कार्ड की श्रैणी**
    1.ए पी एल 2. बी पी एल
    3. उपलब्ध नहीं

15. व्यवसाय

1. विद्यार्थी
2. बेरोजगार
3. सरकारी कर्मचारी
4. निजी/स्वंय का व्यवसाय
5. श्रर्मिक
6. किसान
7. खेतीहर मजदुर
8. अन्य

(ब) मतदाता का पंजीकरण

1. यदि पंजीकृत मतदाता है तो क्या आपके पास मतदाता पहचान पत्र है ?

(अ) हाँ
(ब) नहीं

2. यदि नही तो क्यों ?(यदि प्रश्न संख्या 1 में हाँ तो नीचे लागू नहीं को ठिक करें)

(अ) कार्ड प्राप्त करने की जानकारी नहीं
(ब) गुमहोना स्वय द्वारा
(स) विभाग द्वारा गुम होना
(द) फोटो खिचवाने का समय नहीं मिलना
(य) फोटो पहचान पत्र बनवाने के विषय में जानकारी नहीं
(र) समयाभाव
(ल) जटिल प्रक्रिया
(व) बनवानें में रूचि नहीं
(श) लागू नहीं

(स) जानकारी अभिवृत्ति, व्यवहार, विश्वास व प्रक्रियात्मकता

I. मतदान प्रक्रिया की जानकारीः–

1. क्या आपको मतदाता सूची की जानकारी है ?

(अ) हाँ
(ब) नहीं
(स) कह नहीं सकतें,/जानकारी नहीं

2. यदि हाँ तो, क्या आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड गया है ?

(अ) हाँ
(ब) नहीं
(स) जानते नहीं/कह नहीं सकतें

3. आपको कैसे जानकारी मिली कि वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए ?

(अ) मित्र/रिश्तेदार
(ब) समाचार पत्र

(स) स्थानीय नेता
(द) बूथ लेवल अधिकारी
(य) टीवी
(र) कह नहीं सकतें।

4. यदि प्रश्न 2 का उत्तर हाँ में है तो क्या मतदाता सूची में आपका सही नाम लिखा है ?
(अ) हाँ
(ब) नहीं
(स) कह नहीं सकतें/जानकारी नहीं
(द) लागू नहीं

5. यदि नहीं तो क्या कारण था ?
(अ) इसके विषय में नही जानता हूँ
(ब) बताया नहीं गया
(स) कह नहीं सकते/जानकारी नहीं
(द) रूचि नहीं थी

6. क्या आप जानते है कि मतदाता के रूप में नाम जुडवाने हेतु न्यूनतम आयु क्या है ?
(अ) हाँ
(ब) नहीं

7. पंजीकरण हेतु न्यूनत्तम आयु क्या है ?
(अ) 18 वर्ष
(ब) 20 वर्ष
(स) 22 वर्ष
(द) 25 वर्ष

8. पंजीकरण हेतु अर्हता दिनांक क्या है ?
(अ) 1 जनवरी
(ब) 1 जून
(स) 1 अप्रैल
(द) अन्य दिवस
(य) जानकारी नहीं

9. आपके परिवार में 18 वर्ष से अधिक आयु के कितने सदस्य है जो पंजीकृत नहीं है ?
(अ) 18 वर्ष के अधिक आयु के परिवारजनों की संख्या ....
(ब) जो पंजीकृत नहीं है उनकी संख्या ....

10. मतदाता सूची में नाम न जुडवा पाने के क्या कारण रहे?
(अ) जानकारी का अभाव
(ब) रूचि न लेना
(स) वैध दस्तावेजो का अभाव

(द) जटिल प्रक्रिया
(य) स्थाई निवास नहीं
(द) लागू नहीं

11. क्या आप जानते है कि मतदाता बनने हेतु कहाँ पंजीकरण होता है?
(अ) तहसील कार्यालय/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय
(ब) विकास अधिकारी कार्यालय
(स) पंचायत कार्यालय
(द) कलेक्टर कार्यालय
(य) जानकारी नहीं

12. क्या आप मतदाता फोटो पहचान पत्र (इपिक) के विषय में जानते है?
(अ) हाँ
(ब) नहीं
(स) कह नहीं सकतें

13. क्या आपके पास मतदाता फोटो पहचान पत्र (इपिक) है ?
(अ) हाँ
(ब) नहीं

14. यदि हाँ, तो आपने अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र (इपिक) कब प्राप्त किया ?
(अ) विगत विधानसभा चुनाव से पूर्व
(ब) विगत विधानसभा चुनाव के बाद
(स) याद नहीं

15. मतदाता फोटो पहचान पत्र (इपिक) प्राप्त करने में कितने दिन लगे ?
(अ) 15 दिन
(ब) 1 माह
(स) 6 माह
(द) जानते नहीं

16. क्या मतदाता फोटो पहचान पत्र (इपिक) प्राप्त करना सरल था ?
(अ) हाँ
(ब) नहीं
(स) याद नहीं/कह नहीं सकतें

17. यदि नही तो क्या मुख्य समस्या आई ?
(अ) लम्बी प्रक्रिया
(ब) असहयोगी अधिकारी
(स) कह नहीं सकतें
(द) संबन्धित कार्यालय तक पहुच नहीं

18. यदि आपके पास मतदाता फोटो पहचान पत्र (इपिक) नहीं है तो किस पहचान पत्र से मतदान किया।

(अ) लाईसेंस
(ब) राशनकार्ड
(स) बैंक पास बुक
(द) वोटर स्लिप
(य) अन्य

19. **क्या आपको पता है कि सरकार/चुनाव विभाग ने इस पंजीकरण कार्य में सहयोग हेतु स्थानीय व्यक्ति नियुक्त किया है जिसे बी.एल.ओ. कहते है ?**
(अ) हाँ
(ब) नहीं

20. **यदि हाँ तो इस अधिकारी का पद नाम क्या है ?**
(अ) बूथ लेवल अधिकारी
(ब) पहचानकर्ता अधिकारी
(स) चुनाव अभिकर्ता
(द) जानते नहीं

21. **यदि हाँ तो क्या वह कभी आपके घर आया है ?**
(अ) हाँ
(ब) नहीं
(स) कह नहीं सकतें

22. **क्या आपको पता है कि आपका मतदान केन्द्र कहाँ है ?**
(अ) हाँ
(ब) नहीं

II. चुनाव व लोकतन्त्र के प्रति अभिवृत्ति

1. **आपके लिए लोकतन्त्र से क्या तात्पर्य है (रैकिंग दे)**
(अ) स्वतन्त्र व निष्पक्ष चुनाव ....
(ब) जनता को शक्ति ....
(स) संस्थाओं का उत्तदायित्व ....
(द) अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता ....

2. **चुनाव से आप क्या समझते हो ?**
(अ) जनता की पसन्द की अभिव्यक्ति
(ब) सत्ता का सुचारू हस्तांतरण सुनिश्चित करना
(स) चुने हुए जनप्रतिनिधियों में उत्तदायित्व की भावना लाना
(द) अन्य कोई

2. क्या आप सोचते है कि चुनाव प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है ?
   (अ) हाँ
   (ब) नहीं

3. क्या आप मानते है कि चुनाव में अत्यधिक धन का प्रयोग राजनीति में भ्रटाचार का कारण है ?
   (अ) हाँ
   (ब) नहीं

III. मतदाता का व्यवहार

1. क्या आपने गत विधान सभा चुनाव में मतदान किया था ?
   (अ) हाँ
   (ब) नहीं

2. क्या आपने 2009 लोक सभा चुनाव में मतदान किया था ?
   (अ) हाँ
   (ब) नहीं

3. यदि आपने मतदान नहीं किया था तो इसके क्या कारण थे (यदि पूर्व में मतदान किया हो तो लागू नही)
   1. लागू नहीं
   2. मतदाता फोटो पहचान पत्र कार्ड का नहीं होना
   3. मुझे मतदान केन्द्र की जानकारी नहीं थी
   4. मतदान केन्द्र बहुत दूर था (मुझे आने जाने के लिए परिवहन की समस्या थी)
   5. लम्बी लाईन थी ओर मेरे पास समय नहीं था
   6. राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास नहीं
   7. समुदाय या धार्मिक नेता के मना करने पर मतदान नहीं किया
   8. परिवार के मुखिया ने मतदान के लिए मना किया
   9. लोकतन्त्र के संचालन के लिए मतदान आवश्यक नहीं है
   10. कोई अच्छा प्रत्याशी उपलब्ध नहीं था
   11. प्रत्याशी मेरी पसन्द या समुदाय का नहीं था
   12. मै मतदान नहीं करना चाहता क्योंकि इससे कोई बदलाव होने वाला नही है
   13. मै मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं था
   14. मुझे मतदान के दिन बूथ पर वोटर स्लिप नहीं मिली
   15. मुझे मतदान केन्द्र पर जाने में डर लगा/असुरक्षित महसूस किया
   16. मेरा नाम मतदाता सूची में नही था।
   17. अन्य कारण (उल्लेख करे)..

4. जब आपने मतदान किया, उसके क्या कारण थे? (यदि पहले मतदान नहीं किया है तो लागू नहीं)

1. लागू नहीं
2. मैं एक राजनीतिक दल का समर्थक हूँ
3. बाध्यता व धमकी के कारण वोट दिया
4. परिवार के मुखिया ने वोट देने के लिए कहा था
5. दोस्तों से प्रभावित
6. एक दल विशेष/उम्मीदवार को हराना था
7. यह मेरा कर्त्तव्य था
8. चुनाव अयोग के लगातार आ रहे विज्ञापनों व अपील के कारण
9. चुनाव आयोग द्वारा तैयार किये गये स्वतन्त्र व निष्पक्ष चुनाव के वातावरण के कारण
10. मेरा मतदाता सूची में नाम था
11. मेरी चुनाव पर्ची मिली थी
12. प्रत्याशी अच्छा था
13. प्रत्याशी मेरी पसन्द एवं मेरी धर्म व समुदाय का था
14. प्रत्याशी मुझे व्यक्तिगत रूप से मिला था
15. मुझे पैसा या शराब का प्रलोभन दिया गया था
16. अन्य कारण (उल्लेख करे)..

5. विगत चुनाव में आपका अनुभव कैसा रहा।

(अ) सुविधाजनक
(ब) असुविधाजनक
(स) जटिल
(द) याद नहीं

6. प्रत्याशी के चयन में आपको किसने सर्वाधिक प्रभावित किया।

(अ) निजी जानकारी
(ब) अनुभव
(स) ईमानदारी
(द) प्रतिवद्धता
(य) अन्य (यदि हो तो उल्लेख करे)..
....

7. क्या आपके परिवार में ऐसे सदस्य है जिन्होंने मतदान के योग्य होने के बावजूद मतदान नहीं किया ?

(अ) हाँ
(ब) नही

8. यदि प्रश्न संख्या 7 में हाँ तो कारण बतायें।

1. उनके पास मतदाता पहचान पत्र कार्ड नहीं था।

2. उन्हें मतदान केन्द्र की जानकारी नहीं थी।
3. मतदान केन्द्र का अधिक दूर होना (यातायात के साधनों की समस्या थी)
4. लम्बी लाईन थी ओर उनके पास समय नहीं था
5. राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास नहीं है। (चुनावी लोकतन्त्र में आस्था नहीं)
6. सामुदायिक एवं धार्मिक नेता के मना करने पर मतदान नहीं किया
7. परिवार के मुखिया ने मतदान के लिए मना किया है
8. लोकतन्त्र के संचालन के लिए मतदान आवश्यक नहीं है।
9. कोई अच्छा प्रत्याशी उपलब्ध नहीं था
10. प्रत्याशी उनकी जाति व उनकी पसंद का नहीं था।
11 वे मतदान नहीं करना चाहता क्योंकि इससे कोई बदलाव आने वाला नहीं है।
12. वे विधान सभा क्षेत्र में नहीं थे।
13. उन्हें मतदान के दिन बूथ पर वोटर स्लिप नहीं मिली।
14. उन्हें मतदान केन्द्र पर जाने में डर लगा। (असुरक्षित महसूस किया)
15. उनका नाम मतदाता सूची में नही था।
16. अन्य कारण (उल्लेख करे)..

IV. चुनाव व लोकतन्त्र के विषय में धारणायें

1. चुनाव में असहभागिता के क्या कारण हैः–

(अ) उपेक्षा
(ब) नाराजगी
(स) असुविधा
(द) अन्य

2. आपके मतदान चयन या वरीयता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौनसा है ?

(अ) परिवार
(ब) जाति
(स) धर्म
(द) प्रत्याशी
(य) अन्य

3. उच्च मतदान का क्या कारण है ?

(अ) धन बल
(ब) भुज बल
(स) दोनो
(द) अच्छा उम्मीदवार
(य) अन्य उल्लेख करें ....

V.उत्तरदाताओं की मान्यताएें

1. विगत राजस्थान विधान सभा चुनाव के अनुभव को आप किस रूप में वर्णित करना चाहेंगें?
   (अ) बहुत अच्छा
   (ब) अच्छा
   (स) ठीक ठाक
   (द) असंतोषजनक
   (य) कह नहीं सकते।
2. क्या आप मानते है कि चुनावों के दौरान सुरक्षा को कोई खतरा था ?
   (अ) बहुत ज्यादा
   (ब) थोडा बहुत
   (स) बिल्कुल नहीं
   (द) कह नहीं सकतें।
3. क्या आप जानते है कि गत निर्वाचन के दौरान पुलिस बंदोबस्त समुचित था ?
   (अ) बहुत ज्यादा
   (ब) थोडा बहुत
   (स) बिल्कुल नहीं
   (द) कह नहीं सकतें।
4. मतदान केन्द्र पर आपको कैसा अनुभव हुआ ?
   (अ) बहुत अच्छा
   (ब) अच्छा
   (स) ठीक ठाक
   (द) अच्छा नहीं
   (य) कह नहीं सकतें।
5. क्या मतदान प्रक्रिया में मतदान दल का व्यवहार सहयोगी था ?
   (अ) बहुत सहयोगी
   (ब) सहयोगी
   (स) असहयोगी
   (द) रूखा
   (य) कह नहीं सकतें।
6. क्या आपको आगामी विधान सभा चुनाव की जानकारी है ?
   (अ) हाँ
   (ब) नहीं
7. क्या मतदान करने में आपको समस्या हुई ?
   (अ) हाँ

(ब) नहीं

8. **यदि हाँ, तो क्या परेशानी आयी (एक या एक से अधिक विकल्प का चयन करें यदि नही ंतो लागू नहीं टिक करे)**
   1. लागू नहीं
   2. लम्बीकतार
   3. वरिष्ठ नागरिकों हेतु पृथक लाइन नहीं थी
   4. आवश्यक सुविधाओं का अभाव जैसे जल, शौचालय व रेम्प का ना होना
   5. राजनीतिक दल के बूथ ऐजेन्टो द्वारा डराया व धमकाया जाना
   6. बूथ तलाशने में कठिनाई होना
   7. चुनाव पर्ची मिलने में कठिनाई होना
   8. चुनाव में मतदान दल कार्मिको द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई।
   9. अन्य कोई कारण

VI. मतदाता की व्यवहारिकता

1. **क्या इवीएम का उपयोग आपके लिए आसान था ?**
   (अ) बहुत सरल
   (ब) थोडा बहुत सरल
   (स) ज्यादा नहीं
   (द) कह नहीं सकतें।
2. **आपके लिए इवीएम उपयोग सुविधाजनक क्यों नहीं था ?**
   (अ) निर्देश समझ नहीं सका
   (ब) गलत बटन दबाया
   (स) कह नहीं सकतें।

VII. आगामी चुनावों में सहभागिता

1. **क्या आप आगामी चुनावों में मतदान करेंगें ?**
   (अ) हाँ
   (ब) नहीं

2. **यदि नहीं तो क्यों ?**
   (अ) मतदान करने से कुछ नहीं बदलेगा
   (ब) मुझे चुनावी लोकतन्त्र में भरोसा नहीं हैं
   (स) मेरे पास मतदाता फोटो पहचान पत्र कार्ड नहीं है
   (द) मैं अपने विधान सभा क्षैत्र में नहीं रहूगॉ
   (य) अन्य कोई कारण (उल्लेख करे)..

3. **मतदान करने के क्या कारण रहेंगें (अगर पहले प्रश्न में ना है तो लागू नहीं टिक करें**
   (अ) लागू नहीं

(ब) लोकतन्त्र में मेरी आस्था व्यक्त करनी है
(स) यह मेरा कर्त्तव्य है
(द) मै एक राजनैतिक दल का समर्थक हूँ
(य) यदि उम्मीदवार मेरी पसन्द के होगें
(र) अन्य कोई कारण (उल्लेख करे)...

4. मतदान करने या न करने की पसन्द का प्रमुख उत्प्रेरक कौन रहेगा (एक से अधिक विकल्प चुन सकते है)

1. परिवार का मुखिया
2. पति या पत्नी
3. धार्मिक या आध्यात्मिक नेता
4. सामुदायिक व जातिगत नेता
5. मित्र
6. निजी पसंद
7. मेरी पसंद का उम्मीदवार

VIII. संस्थागत मतदाता शिक्षण व निर्वाचन सहभागिता

1. क्या आपको विगत चुनाव में चुनाव आयोग के किसी चुनाव अभियान की जानकारी थी ?

(अ) हाँ
(ब) नहीं

2. आपको किस माध्यम से चुनाव से संबन्धित जानकारी मिली, एक से अधिक विकल्प चयन कर सकते है (प्रथम प्रश्न का उत्तर नहीं है, तो लागू नहीं टिक करे)

1. लागू नहीं
2. समाचार पत्र
3. दूरदर्शन
4. रेडियों
5. एफ.एम चैनल
6. स्थानीय केबल टीबी
7. विडीयोवेन
8. सरकारी कार्यालय
9. कॉलेज/शैक्षणिक संस्थाऐं
10. पोस्टर व होर्डिग
11. एनजीओं/नागरिक समिति समूहं
12. अन्य कारण हो तो उल्लेख करें

3. सबसे महत्वपूर्ण मतदाता सूचना/संदेश जो आपको मिला, एक से अधिक विकल्प चयन कर सकते है (प्रथम प्रश्न का उत्तर नहीं है, तो लागू नहीं टिक करे)

1. लागू नहीं
2. मतदान का दिन व कार्यक्रम सूची
3. मतदान आपका अधिकार एवं कर्त्तव्य है अतः मतदान आवश्यक है
4. आचार संहिता का लागू होना
5. बिना किसी प्रलोभन के स्वः विवके से मतदान करें।
6. चुनाव आयोग के नियम की अनुपालना कडाई से होना
7. मतदाताओं का पंजीकरण
8. वोटर कार्ड का तैयार किया जाना
9. स्वतन्त्र व निष्पक्ष चुनाव हेतु उठाये गये कदम
10. चुनाव पर्ची वितरण कार्यक्रम
11. मतदान के लिए वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों की सूचना
12. नियम 490 के द्वारा मतदान
13. टैन्डर मत
14. वृद्धों व बीमारो हेतु पृथक लाईन
15. विकलांगों हेतु लाईन न होना
16. मतदान के दिन क्या करना व क्या न करने की जानकारी होना
17. अन्य कारण हो तो उल्लेखित करें

4. क्या आपने चुनाव आयोग द्वारा मतदान हेतु प्रेरित करने वाले चर्चित व्यक्ति/अभिनेताओं द्वारा तैयार के किसी विज्ञापन को देखा था ?

(अ) हाँ
(ब) नहीं

5. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रयोग में किये गये व्यक्तियों में से सबसे आकर्षक/प्रभावित करने वाला व्यक्ति कौन था ?

1. पूर्व राष्ट्रपति
2. क्रिकेटर एम. एस. धोनी
3. एम. सी. मेरीकॉम
4. साइना नेहवाल
5. अन्य कोई
6. लागू नहीं

6. मतदाता शिक्षा हेतु चुनाव आयोग द्वारा तैयार किसी पोस्टर को आपने देखा है क्या ?

(अ) हाँ
(ब) नहीं

7. आपने पोस्टर कहाँ देखा, एक से अधिक विकल्प चुन सकते है (छठा प्रश्न का उत्तर नहीं है, तो लागू नहीं टिक करे)

1. लागू नहीं
2. कलेक्ट्रैट में

3. अन्य सरकारी कार्यालय में
4. अस्पताल में
5. स्कूल/कॉलेज
6. बाजार में
7. चौराहा पर
8. लाइब्रेरी में
9. बसस्टैंड पर
10. रेल स्टेशन पर
11. उचित मूल्य दुकान पर
12. पंचायत घर पर
13. बैंक में
14. अन्य कोई

8. आपके अनुसार सबसे आकर्षक व उत्प्रेरक विज्ञापन कौनसा है ?

1. लागू नहीं
2. मतदान क लिए तैयार मतदाता होने पर गर्व
3. अपने बी.एल.ओ. को जाने
4. खडे हो जाओं आप 18 के हो चुके हो
5. मेरा वोट मेरा भविष्य
6. वोट को हाँ धन को ना
7. आपका वोट अमूल्य है, समझदारी से प्रयोग करे
8. अन्य यदि कोई सुझाव हो ....

. प्रगणक के हस्ताक्षर
. प्रगणक का नाम ....
. दिनांक ....
. स्थान ....

पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर...............................
पर्यवेक्षक का नाम ....
दिनांक ....
स्थान ....

. संवीक्षक

. हस्ताक्षर,
. नाम, ...
. दिनांक......................
. स्थान ....

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
तिलक मार्ग, योजना भवन, जयपुर।

क्रमांकःएफ7(2)/5/सम/केऐबीबीपी/डीईएस/2013/17041-73 दिनांकः 1.5.2013

जिला सांख्यिकी अधिकारी

....

विषयः— निर्वाचन आयोग, भारत सरकार द्वारा करवाये जा रहे बेस लाईन (केऐबीबीपी) सर्वे किये जाने के संबंध मे कार्य योजना एवं दिशा –निर्देश भिजवाने बाबत।

संदर्भः—निर्वाचन विभाग, राजस्थान का पत्रांकः एफ4(3)(2)रोल/निर्वा/2013/1313 दिनांक 25.4.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि निर्वाचन आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित बेस लाईन (केऐबीबीपी) सर्वे–2013 का कार्य राज्य सरकार के निर्देशानुसार आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में निर्वाचन विभाग द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र एवं प्रश्नावली आपको पूर्व में ही भिजवाई जा चुकी है, जिसे निदेशालय की वैब साईट पर भी अपलोड कर दिया गया है। उक्त सर्वे कार्य हेतु राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम विडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से जिलों के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्रों (एनआईसी) पर दिनांक 3 मई, 2013 को प्रातः 10.00 बजे से 1.00 के मध्य आयोजित किया जावेगा। उक्त प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी या उनका प्रतिनिधि तथा जिला सांख्यिकी अधिकारी द्वारा भाग लिया जाना है।

उक्त सर्वे कार्य सम्पन्न करवाये जाने हेतु कार्य योजना एवं दिशा निर्देश तैयार कर इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं। कार्य योजना एवं दिशा निर्देशों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर उक्त सर्वे कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय पर पूर्ण किया जाना है। सर्वे के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी हेतु निदेशालय, मुख्यालय पर डॉ0 रधुनाथ मीना, उप निदेशक (समन्वय), (मो.नः 9413331408) अथवा श्री जगदीश प्रसाद मीणा, सांख्यिकी अधिकारी, (मो.नः 9414889602) से सम्पर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं पदेन उपसचिव,
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

क्रमांकःएफ7(2)/5/सम/केऐबीबीपी/डीईएस/2013/17074-107 दिनांकः 1.5.2013

1. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर को उनके पत्रांक दिनांक 25.04.2013 एवं 30.04.2013 के क्रम में प्रेषित है।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), राजस्थान।

(ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं पदेन उपसचिव,
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

<u>बेस लाईन (के.ए.बी.बी.पी) चुनाव सर्वे 2013 की कार्य योजना एवं दिशा–निर्देश</u>

भारत के निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार राज्य में इस वर्ष के अन्त में आयोजित होने वाले आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं के सामान्य ज्ञान, आचरण, व्यवहार एवं विभिन्न बिन्दुओं पर आधारभूत सर्वे किया जाकर रिपोर्ट तैयार की जानी है।

राजस्थान में उक्त सर्वे सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में से 20000 मतदाताओं का चयन कर उनसे निर्वाचन आयोग से प्राप्त प्रश्नावली में वर्णित बिन्दुओं की सम्पूर्ण सूचनाऐं प्रगणकों द्वारा भरी जाकर उक्त सर्वे की कार्यवाही की जावें। प्रश्नावली भरने का कार्य प्रगणक के रूप में चयनित मतदान बूथ के बी.एल.ओ. द्वारा किया जायेगा एवं इसके निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य संबंधित जिला सांख्यिकी कार्यालयों एवं निदेशालय मुख्यालय में कार्यरत कार्मिकों द्वारा किया जावेगा।

प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र से कुल पोलिंग बुथो ग्रामीण एवं शहरी की संयुक्त सूची में से 10 पौलिंग बुथों का चयन रेण्डम सैम्पलिंग के माध्यम से किया जावेंगा तत्पश्चात चयनित प्रत्येक पौलिंग बुथ पर पंजीकृत कुल मतदाताओं की सूची में से 10 मतदाताओं का चयन रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर किया जाकर प्रत्येक मतदाता की प्रश्नावली एक प्रति में प्रगणक द्वारा भरी जावेगी। एक विधानसभा क्षेत्र से कुल 100 मतदाताओं का चयन रेण्डम सेम्पलिंग के आधार पर सर्वे हेतु किया जावेगा। इस प्रकार कुल 200 विधानसभा क्षेत्रों में से कुल 20,000 मतदाताओं का रैण्डम सैपलिंग के आधार पर चयन कर सर्वे की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

<u>सर्वे की कार्य योजनाः–</u>

बेस लाईन (के.ए.बी.बी.पी) सर्वे 2013 की कार्य योजना निम्नानुसार प्रस्तावित हैः–

1. **राज्य स्तरीय प्रशिक्षणः–** सर्वे कार्य के लिये **राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 मई, 2013 को** राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्रों (एनआईसी) पर विडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से प्रातः 10.00 बजे से 1.00 के मध्य आयोजित किया जावेगा।
2. **मतदान केन्द्रों का चयनः–** सभी जिला सांख्यिकी अधिकारी सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों की सूचियॅा प्राप्त कर उनमें से 10 मतदान केन्द्रों का चयन रेण्डम सेम्पलिंग के माध्यम से **दिनांक 06.05.2013 तक** करेगें।
3. **मतदाताओं का चयनः–** प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में से चयनित मतदान केन्द्र पर पंजीकृत कुल मतदाताओं की सूचियां जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर उनमें से 10 मतदाताओं का चयन रेण्डम सेम्पलिंग के माध्यम से **दिनांक 08.05.2013 तक** करेगें।
4. **प्रगणकों एवं सुपरवाईजरों की नियुक्तिः–** मतदाताओं के चयन के पश्चात् समस्त जिला सांख्यिकी अधिकारी अपने–अपने जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी से विचार विमार्श कर क्षैत्र कार्य/प्रश्नावली भरने के लिए प्रगणकों तथा निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिए सुपरवाईजरो की नियुक्ति आदेश जिला /उप जिला निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षरों से **दिनांक 10.05.2013 तक** जारी करवायेंगे।
5. **जिला स्तरीय प्रशिक्षणः–**जिला स्तर पर सर्वे कार्य के लिये चयनित प्रगणकों एवं सुपरवाईजरों को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं जिला सांख्यिकी अधिकारियों द्वारा जिला स्तर पर प्रशिक्षण **दिनांक 13.05.2013 तक** प्रदान कर तुरन्त सर्वे कार्य प्रारम्भ कर दिया जावे।
6. **सर्वे कार्य एवं निरीक्षण /पर्यवेक्षणः–** जिला स्तरीय प्रशिक्षण के तुरन्त बाद सर्वे कार्य तथा निरीक्षण/पर्यवेक्षण का कार्य **दिनांक 21.05.2013 तक** पूर्ण किया जावें।
7. **भरी हुई प्रश्नावलियां एकत्रित करनाः–** बेस लाईन सर्वे की भरी हुई प्रश्नावलियां सम्बन्धित सुपरवाईजर प्रगणकों से **दिनांक 22.05.2013 तक** प्राप्त कर उनकी सुक्ष्म जॉच करेगें तथा यह सुनिश्चित करेगें कि कोई कॉलम रिक्त नहीं है।

8. सुक्ष्म जॉच पश्चात् भरी हुई प्रश्नावलियों को सुपरवाईजर सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचन अधिकारी को **दिनांक 23.05.2013 तक** जमा करायगें।

9. सहायक निर्वाचन अधिकारी विधानसभा क्षेत्र के सभी सुपरवाईजरों से भरी हुई प्रश्नावलियां प्राप्त कर सम्बन्धित जिला सांख्यिकी अधिकारियों को **दिनांक 24.05.2013 तक** जमा करायगें।

10. संबंधित जिला सांख्यिकी अधिकारियों द्वारा विधानसभावार चयनित मतदाताओं की **भरी हुई प्रश्नावलियों की प्रतियों को एकत्रित कर उनकी जॉच पश्चात् प्रश्नावलियों को विशेष वाहक के साथ दिनांक 27.5.2013 तक निदेशालय में आवश्यक रूप से भिजवायेगें।**

11. **समीक्षा एवं डेटा एन्ट्री का कार्यः–** निदेशालय में प्राप्त भरी हुई प्रश्नावलियों की समीक्षा एवं डेटा एन्ट्री का कार्य **दिनांक 24.06.2013 तक** किया जाना प्रस्तावित है।

12. **वेलीडेशन एवं टेबुलेशनः–** डेटा एन्ट्री के पश्चात् वेलीडेशन एवं टेबुलेशन का कार्य **दिनांक 8.07.2013 तक** किया जाना है।

13. **रिपोर्ट राईटिंगः–** निदेशालय द्वारा रिपोर्ट तैयार करने का कार्य **दिनांक 23.07.2013 तक** किया जाना है।

आवश्यक दिशा-निर्देशः-

1. समस्त जिला सांख्यिकी अधिकारी/सहायक सांख्यिकी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि वे अपने–अपने जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों की सूची जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त करेगें।

2. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की कुल मतदान केन्द्रों की संख्या में से प्रति विधानसभा से 10 मतदान बूथों का चयन रेण्डम सेम्पलिंग के माध्यम से करेगें।

3. तत्पश्चात् चयनित मतदान बुथों पर पंजीकृत समस्त मतदाताओं की सूची जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर प्रत्येक मतदान बूथ से कुल 15 मतदाताओं का चयन रेण्डम सेम्पलिग के आधार पर करेगें जिन में से क्रमवार प्रथम 10 मतदाताओं की प्रश्नावली प्रगणक द्वारा भरी जावेगी।

4. चयनित 15 मतदाताओं की सूची में से शेष 5 चयनित मतदाताओं की प्रश्नावली तभी भरी जावेगी जब किसी कारणवश चयनित सूची में प्रथम 10 चयनित मतदाता सर्वे के दौरान मौके पर उपलब्ध नहीं होते है अथवा मृत पाये जाते हैं।

5. सर्वे कार्य के लिए कुल चयनित मतदाताओं में से 30 प्रतिशत मतदाताओं की भरी हुई प्रश्नावलियों का भौतिक सत्यापन इस कार्य के लिए नियुक्त सुपरवाईजरों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जा कर उन पर हस्ताक्षर एवं दिनांक अंकित करेगें।

6. सामान्यतः निरीक्षण/पर्यवेक्षण हेतु तीन या चार पोलिंग बूथ पर एक सुपरवाईजर की नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि भौतिक सत्यापन सुलभता से किया जा सके। निरीक्षण/पर्यवेक्षण हेतु वाहन व्यवस्था जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा करवाई जावेगी।

7. निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु सुपरवाईजरों की नियुक्ति जिला सांख्यिकी कार्यालयों, पंचायत समितियों में कार्यरत प्रगति प्रसार अधिकारी एवं अन्य कार्यालयों में नियुक्त सांख्यिकी कार्मिकों तथा अन्य विभागों में कार्यरत कार्मिकों में से की जावे ।